

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/19/2138 दिनांक : 13/2/19
-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री राहुल शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	खण्डेला (स्थानान्तरणाधीन)	पिलानी

अतः उक्त कर्मचारी को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवानिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किस्ती अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 13/2/19

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/19/2139-2150

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर
5. अध्यक्ष/अधिसापी अधिकारी नगर पालिका, खण्डेला/पिलानी/समगढ-शेखावाटी
6. श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका खण्डेला
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)